पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 13.04.2021

1-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा मनगढंत लूट की सूचना देकर कम्पनी के पैसे गबन करने वाला अपराधी गिरफ्तार, निशादेही पर 02 लाख 50 हजार रूपये बरामद।

दिनांक 13.04.2021 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा मनगढंत लूट की सूचना देकर कम्पनी के पैसे गबन करने वाला अपराधी अभियुक्त वारिस खान पुत्र साबिर खान निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना भेजीपुर जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर 02 लाख 50 हजार रूपये बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त वारिस खान पुत्र साबिर खान निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना भेजीपुर जिला बरेली ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 233/2021 धारा 408/411 भा0द0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा ।

बरामदगी का विवरण-

2 लाख 50 रुपये नगद

2-थाना बीटा 2 पुलिस व आई0टी0 सेल के सयुंक्त प्रयास 67 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाला 25 हजार रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 12.04.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस व आई0टी0 सेल के सयुंक्त प्रयास से धोखाधडी करने वाला 25 हजार रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त प्रदीप राना पुत्र रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल की मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत वर्तमान निवासी म0नं0 173 अपर प्रथम तल पश्चिम पुरी पाकेट 1 नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बीटा 2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 679/20 धारा 420,467,468,471,120बी,406 भादवि व 66 आई टी एक्ट में वांछित व 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित था।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर योजनावद्ध तरीके से खाता धारक श्री सुरेश यादव के मोबाइल नम्बर जो इंडसइंड खाता मे लिंक था की दूसरी नई सिम निकलवाकर एवं फर्जी दस्तावेज से डेबिट कार्ड जारी कराकर खाते से 6730925 रु0 (67 लाख तीस हजार नौ सौ पच्चीस रु0) हडप लिये थे। हडपे गये रूपयों में से करीब 12 लाख रूपये डेबिट कार्ड द्वारा एवं शेष रूपयो की आई एम पी एस के माध्यम से भिन्न भिन्न ज्वैलर्स से सोने के सिक्के एवं ज्वैलरी खरीदकर बेचकर आपस में रूपयों का बटवारा कर लिया था। जिस मे सह अभियुक्त सतीश राना पुत्र रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटेरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत वर्तमान निवासी एम जी 10 सी एल्डिको माइस्टिक ग्रीन अपार्टमेन्ट ओमीक्रोन प्रथम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर अनुज पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी सैदपुरा थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी डी 93 ज्यू प्रथम नियर घोडी बछेडा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर, जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्यामलाल निवासी सुषमा सदन गुप्ता कालोनी राजा गार्डन जगजीतपुर कनखल हरिद्वार को पूर्व मे ही इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त मुकदमे में वादी का ठगी किया गया 67 लाख रुपया वादी के खाते में भरसक प्रयास कर वापस कराया जा चुका है अभियुक्त द्वारा दौराने पूछताछ अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र कर थाना बीटा 2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 391/16 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा की घटना का भी इकबाल किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.प्रदीप राना पुत्र रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल की मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत वर्तमान निवासी म0नं0 173 अपर प्रथम तल पश्चिम पुरी पाकेट 1 नई दिल्ली

पूर्व गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सतीश राना पुत्र रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटेरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत वर्तमान निवासी एम जी 10 सी एल्डिको माइस्टिक ग्रीन अपार्टमेन्ट ओमीक्रोन प्रथम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2.अनुज पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी सैदपुरा थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी डी 93 ज्यू प्रथम नियर घोडी बछेडा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3.जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्यामलाल निवासी सुषमा सदन गुप्ता कालोनी राजा गार्डन जगजीतपुर कनखल हरिद्वार

अपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 679/20 धारा 420,467,468,471,120बी,406 भादवि व 66 आई टी एक्ट

2.मु0अ0सं0 391/16 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा

3.मु0अ0सं0 19/2021 धारा 420,406,465,467,468,471,474,475,34,120बी भादवि बनाम अनुज उपरोक्त थाना राबोडी पुलिस स्टेशन ठाणे सिटी मुम्बई

3- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मनगढंत लूट की झूठी सूचना देने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, एक गाडी टाटा ऐस, एक मोटर साइकिल व 05 लाख 53 हजार रूपये नकद बरामद।

दिनांक 13.04.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 16 लाख रूपये लूटने की झूठी सूचना देने वाले 03 अभियुक्तो 1. आलोक शर्मा पुत्र श्री धर्मप्रकाश शर्मा नि0 भावसी थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तामन निवासी किरायेदार ग्राम शहदरा थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर 2. अनिल पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 पलडी थाना फफूंद जिला औरैया वर्तमान निवासी किरायेदार सर्फाबाद थाना सैक्टर 49 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर 3. अवधेश पुत्र श्री अरूण कुमार नि0 सुल्तानजोत थाना खोरहंसा जनपद गौंडा को म्यू गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कम्पनी के उगाहे गये 5,53,000

रूपये तथा टूटे हुए मोबाईल के टुकडे व एक गाडी टाटा ऐस रजि0नं0 डीएल 1एल एसी 8494 व एक मोटर साइकिल यामाह एफजैडएस डीएल 3एस सीवी 0582 बरामद की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आलोक शर्मा पुत्र श्री धर्मप्रकाश शर्मा नि0 भावसी थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी किरायेदार ग्राम शहदरा थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

2. अनिल पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 पलडी थाना फफूंद जिला औरेया वर्तमान निवासी किरायेदार सर्फाबाद थाना सैक्टर 49 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर

3. अवधेश पुत्र श्री अरूण कुमार नि0 सुल्तानजोत थाना खोरहंसा जनपद गौंडा

अभियोग का विवरण-

1.मु.अ.स. 273/2021 धारा 408,420,411,182,34 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर बनाम आलोक शर्मा, अनिल, अवधेश उपरोक्त

बरामदगी का विवरण-

1.कब्जे से कम्पनी के उगाहे गये 5,53000 रूपये

2.टूटे हुए मोबाईल के टुकडे

3.एक गाडी टाटा ऐस रजि0नं0 डीएल 1एल एसी 8494

4.एक मोटर साइकिल यामाह एफजैडएस डीएल 3एस सीवी 0582

#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 13.04.2021 को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 1684 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 1,68,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।1670 वाहनों का चालान करते हुए कुल 1,68,300 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 05 वाहनों को सीज भी किया गया।

44 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 14 अभियोग पंजीकृत किये गये।